सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हीरोदेवी पत्नी चिमाराम जाति जाट, निवासी जाटावास तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)		आसुराम पुत्र कौशलाराम जाति जाट, निवासी बलदेवनगर, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर वगैरा (09)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 379 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2025	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा अम्बेडकर नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 166 रकबा 16.3897 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् के हिस्से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। पक्षकारान् के मध्य मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी में सड़क की ओर की भूमि का विप्रार्थीगण वर्तमान में अजनबी क्रेता को बैचान करने पर आमादा है। साथ ही प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नव निर्माण कार्य कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा विभाजन पूर्व भूमि का अजनबी क्रेताओं को बैचान कर कब्जा दिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी / हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे बेदखल किया जाता है अथवा उनके हक हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा किया जाता है अथवा भूमि का विभाजन पूर्व बैचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा अम्बेडकर नगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 166 रकबा 16.3897 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने, नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

12.9.25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. 19.9.25 को पेश हो।

19.09.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.।
पत्रावली विप्रार्थीगण की तामिली बाबत दिनांक
3.11.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

3.11.25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. 1.12.25 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudha
Date: 2026.01.01 16:47:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.11.25

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली तलब करने जरिये विड्रो खारिज करने का अर्जेन्ट पत्र पेश कर निवेदन करने पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई

प्रार्थीगण वकील उपस्थित।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बाबत में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने तथा अग्रिम कार्यवाही न चाहने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली खारिज करने का निवेदन किया गया। चूंकि उक्त आवेदन में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से व अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने पर आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर जरिये विड्रो खारिज की जाती है। साथ ही पूर्व के दिनांक 12.08.25 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी समाप्त की जाती है।

पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Surendra

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:49 IST
Reason: SelfAttested